राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–882 / 2025

बृजमोहन मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :–12.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पं.स. नांगल राजावतान, जयपुर दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण पं.स. बारां में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पंचायत समिति नांगल राजावतान, जिला दौसा में कार्यरत है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान जयपुर दर्शाया गया है, ऐसे में आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7277 / 2006 नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2006 में वर्तमान पदस्थापन स्थान को

गलत दर्शाते हुए स्थानांतरण किये जाने से यह प्रकट होता है कि विभाग ने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. आलोच्य आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि उसमें अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पं.स. नांगल राजावतान को गलत नहीं दिखाया गया है, जबकि दौसा जिले की जगह जयपुर अंकित किया गया है, जो टंकण की त्रुटि होना प्रकट होता है। ऐसे में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7277/2006 नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2006 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी पं.स. नांगल राजवतान में ही कार्यरत है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश अपीलार्थी के संबंध में ही जारी किया जाना प्रकट होता है एवं अपीलार्थी को आलोच्य आदेश में ठीक प्रकार से पहचाना जा सकता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)